

जल प्रदूषण को रोकने के लिए

***891— श्रीमती निर्मल रानी, विधायक**

- क** मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि जिला सोनीपत, पानीपत और करनाल में कई औद्योगिक इकाईयों द्वारा बोरवेल के माध्यम से छोड़े गए औद्योगिक अपशिष्ट जल के कारण भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है।
- ख** यदि हां, तो उपरोक्त समस्या की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री मनोहर लाल खट्टर का जवाब

नहीं श्रीमान जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच०एस०पी०सी०बी०) सतही जल की गुणवत्ता भारत सरकार का निगरानी कार्यक्रम (एन०डब्ल्यू०एम०पी०) के तहत सोनीपत के 19 स्थानों, पानीपत में 21 स्थानों और करनाल में 14 स्थानों पर निगरानी कर रहा है, जिसमें नदियों/नालों/जल निकायों और भूजल शामिल है और इन सभी नमूनों का परिणाम निर्धारित सीमा के अनुरूप पाए गए हैं।

To stop Water Pollution

***891 SMT. NIRMAL RANI, MLA**

a) Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the underground water in District Sonipat, Panipat and Karnal has been polluted due to the industrial waste water released through borewells by several industrial units;

b) if so, the steps taken by the Government to check the above said problem together with the details thereof?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Reply:-

(a) and (b) :No Sir. The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has been monitoring the quality of surface water including that of Rivers/Drains/Water Bodies and ground water at 19 locations in Sonipat, 21 locations in Panipat and 14 locations in Karnal District under the National Water Monitoring Programme (NWMP) of Government of India and the results of samples collected from all these points are within the prescribed standards.

Note for Pad

Assembly Question No. 891 asked by Smt. Nirmal Rani, MLA regarding Problem of Pollution in Ground water in the areas of Panipat, Sonipat and Karnal.

1. The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has been monitoring the quality of surface water including that of Rivers/Drains/Water Bodies and ground water at 19 locations in Sonipat, 21 locations in Panipat and 14 locations in Karnal District and the results of samples collected from all these points are within the prescribed standards. Besides this samples are also collected under the National Water Monitoring Programme (NWMP). The details of these locations alongwith its parameters (from the period April 2020 to till date) is enclosed as **Annexure-A** (for Sonipat District), **Annexure-B** (for Panipat District) and **Annexure-C** (for Karnal District). These locations are being monitored to ascertain the quality of water and the reports of ground water quality of these Districts have been found to be meeting with the standards of drinking water as prescribed by Bureau of Indian Standards (BIS). The results of the analysis of water samples of the water bodies are regularly submitted to the Central Pollution Control Board (CPCB) and are also uploaded on the online portal of CPCB regularly.

Further, the industrial units are being inspected regularly by HSPCB and penal actions such as closure and prosecutions are taken against the units for all the violations observed. While there are 02 cases of illegal discharge of untreated effluent through borewell / reverse pumping in Rai area of Sonipat District and 01 case detected in Ghraunda area of Karnal District, during the last two years. Closure and Prosecution action have also been taken against these units.

1. The following steps have been taken up by Government through District Administration of these 03 Districts, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB), and other Agencies/Departments concerned for prevention and monitoring the pollution of water:-
 - i) As per directions issued by HSPCB dated 29.09.2017 (**Annexure-D**) all large and medium industries/STPs/CETPs discharging directly or indirectly into the river Yamuna, have to mandatorily install Online Effluent Monitoring Systems in their units, and the units shall be closed down by the Board, if the same is not complied with.
 - ii) Directions have been issued to 256 industries/ projects for installation of Online monitoring of effluent discharge and emission from various highly polluting industries, Common Effluent Treatment Plants (CETPs), Sewage Treatment Plants (STP)s, Common Hazardous Waste & Bio Medical Waste treatment and disposal facilities. All the 256 units have installed and connected to the servers of HSPCB and CPCB and the real time data are received online. Total 1371 water polluting industries are established in these 03 districts & running after obtaining permission from the Board and have installed Effluent Treatment Plant/ Sewage Treatment Plant out of which 133 industries has adopted zero liquid discharge (ZLD) plant in these 03 districts.

- iii) HSPCB has been regularly inspecting the polluting industries as per the inspection policy endst. no. HSPCB/PLG/G-14/2020/1332-1367 dated 11.02.2020 (**Annexure-E**) for different categories of industries to check the installation and operation of Pollution Control Devices by water polluting units and compliance of prescribed standards for discharge of environmental pollutants. Besides regular mandatory inspections, the HSPCB is also conducting special inspections wherever it receives complaints through appropriate specified channels against the pollution, and wherever Court/Tribunal directions are received for conduct of inspection. HSPCB has inspected 2123 industries in these 03 Districts in last 03years out of which 485 industries were found non complying and necessary action such as closure & prosecution was done against the defaulting units. Status of industries is attached as (**Annexure-F**)
- iv) HSPCB has imposed the penalty on the non-complying polluting units on the 'Polluter Pays' principle and HSPCB is recovering the Environmental Compensation for the restoration of the environment damages caused. HSPCB has imposed compensation on 38 units (20 in Sonipat, 14 in Panipat and 04 in Karnal Region) for an amount of Rs. 29.50 Cr (approx) against the defaulting units and an amount of around six crore has been collected till date (copy enclosed as (**Annexure- G**))
- v) Regular monitoring of the water quality of surface water including that of rivers/drains/water bodies and ground water flowing through entire State of Haryana including these 03 Districts is done by HSPCB under National Water Monitoring Programme (NWMP).
- vi) There are 3 CETPs with a capacity of 44.5 MLD, established in Panipat and 4 CETPs, with a capacity of 25.2 MLD established in Sonpat District for treating the industrial effluent, generated from the industries. Further, one more CETP with a capacity of 6 MLD is getting constructed in Sonepat. One CETP in Panipat (21 MLD) is being upgraded technically for efficient treatment of industrial effluent. Further, four existing CETPs of Sonepat are being upgraded (augmenting their capacity from 25.2 MLD to 48 MLD), creating more treatment capacity in the District. Detail of CETPs is enclosed as (**Annexure-II**)
- vii) The State Government is also creating awareness on environmental issues through multimedia to sensitize and evoke people's participation. 43 health camps have also been organized and 16 awareness programmes have been organized in these three districts during the current year (2020-21), till date.

पैड के लिए नोट

पानीपत, सोनीपत तथा करनाल के क्षेत्रों में भूजल में प्रदूषण की समस्या के बारे में श्रीमती निर्मल रानी विधायक द्वारा पूछा गया विधानसभा प्रश्न संख्या 891.

1. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) सोनीपत में 19 स्थानों पानीपत में 21 स्थानों तथा करनाल जिले में 14 स्थानों पर नदियों/झरनों/ जल निकायों तथा भूजल के जल सहित सतह जल की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है तथा इन सभी बिन्दुओं से एकत्रित नमूनों के परिणाम निर्धारित मानकों में हैं। इन नमूनों के इलावा राष्ट्रीय जल निगरानी प्रोग्राम (एन0डब्ल्यू0 एम0पी0) के अधीन भी नमूने एकत्रित किए गए हैं। इसके पैरामीटरों के साथ इन स्थानों के ब्यौरे (अप्रैल, 2020 से अब तक की अवधि) अनुबंध क (सोनीपत) अनुबंध ख (पानीपत) तथा अनुबंध ग (करनाल) के रूप में संलग्न हैं इन स्थानों की जल गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निगरानी की जा रही है तथा इन जिलों के भूजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित पेयजल के मानकों को पूरा करने के रूप में पाई गई है। जल निकायों के जल नमूनों के विश्लेषण के परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं तथा सी0पी0सी0बी0 के ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड भी किए जाते हैं।
2. इसके अतिरिक्त, औद्योगिक इकाइयों को एच0एस0पी0सी0बी0 के द्वारा नियमित रूप से निरक्षण किया जा रहा है तथा सभी इकाइयों के उल्लंघनों विरुद्ध बन्दी तथा अभियोजित दाण्डिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान सोनीपत जिले के राई क्षेत्र में नलकूप/प्रतिकूल पम्पिंग के द्वारा अनुपचारित बहिःस्त्राव का गैर कानूनी निर्वहन के 02 मामले तथा करनाल जिले के घरौंड़ा क्षेत्र में 1 मामले का पता लगाया गया है। बन्दी तथा अभियोजन की कार्रवाई भी इन इकाइयों के विरुद्ध की गई है।

- i) जल प्रदूषण के निर्वाहण तथा निगरानी के लिए इन 3 जिलों के जिला प्रशासन हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य एंजिसियों से सम्बंधित विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये है। दिनांक 29.09.2017 अनुबंध -घ को एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार यमुना नदी में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वहन करने वाले सभी बड़े तथा मध्यम उद्योगों/एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 को उनकी इकाइयों में आपनलाईन बहिःस्त्राव मानीटरिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करनी है तथा बोर्ड द्वारा इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा यदि उसकी पालना नहीं की जाती है

- ii) विभिन्न अच्च प्रदूषण वाले उद्योगों, सामूहिक बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रण (सी0ई0टी0पी0), मलजल उपचार संयंत्रण (सी0ई0टी0पी0), मलजल उपचार संयंत्रण (एस0टी0पी0), सामूहिक खरतरनाक अपशिष्ट तथा सायोमैडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधाओं से बहिःस्त्राव निर्वहन तथा उत्सर्जन की आनलाईन निगरानी की स्थापना के लिए 256 उद्योगों/परियोजनो को आदेश जारी किए गए है सभी 256 इकाइयो ने स्थापित कर लिए है एच0एस0पी0सी0बी0 तथा सी0पी0सी0बी के सरवर से उन्हें जोड़ दिया है तथा सही समय के ऑनलाइन डाटा प्राप्त हो रहे हैं इन 3 जिलों में कुल 1371 जल प्रदूषण उद्योग स्थापित है तथा बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद चल रहे तथा बहिःस्त्रास उपचार संयंत्रण मलजल उपचार संयंत्रण स्थापित कर लिए है जिनमें से 133 उद्योगों ने इन तीन जिलों में शून्य तरल निर्वहन (जैड एल डी) संयंत्रण अपनाया है।
- iii) एच0एस0पी0सी0बी0 ने जल प्रदूषण करने वाली इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र की स्थापना तथा संचालन की जांच की करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के उपयोगों के निरीक्षण पॉलिसी दिनांक 11.02.2020 (अनुबंध-ड) के अनुसार प्रदूषण करने वाले उद्योगों तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों के निर्वहन के लिए विहित मानको की पालना करने का नियमित रूप से निरीक्षण किया है। नियमित अनिवार्य निरीक्षण के अलावा एच0एस0पी0सी0बी0 जब कभी प्रदूषण के खिलाफ विनिर्दिष्ट उचित चैनलो के माध्यम से शिकायतो प्राप्त होती है तथा जब कभी न्यायालय से अधिकरण से निरीक्षण करने के निर्देश पारित होते है। तो विशेष निरीक्षण भी किया जाता है। एच0एस0पी0सी0बी0 ने पिछले 3 वर्षों में इन 3 जिलों में 2123 उद्योगों को निरीक्षण किया है जिसमें से 485 उद्योग पालन न करने वाले पाये गए थे तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही जैसे कि बन्दी तथा अभियोजन चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ किया गया था उद्योगों की स्थिति अनुबंध के रूप में संलग्न हैं
- iv) एच0एस0पी0सी0बी0 गैर-अनुपालन प्रदूषणकारी ईकाइयों पर जुर्माना लगाता है ओर पर्यावरण क्षति की बहाली के लिए पर्यावरण मुआवजा की वसूली करता है। एच0एस0पी0सी0बी0 ने 38 ईकाइयों पर जुर्माना लगाया है। जिसमें (सोनीपत की 20, पानीपत की 14 और करनाल क्षेत्र की 04 ईकाइयां है लगभग 29.50 करोड़/- रूपए की राशि डिफॉल्ट ईकाइयों से और लगभग 06 करोड़ रूपए एकत्र कि गई हैं। (प्रतिलिपि अनुबंध-एच के रूप में संलग्न है)
- v) इन 03 जिलों सहित पूरे हरियाणा राज्य में बहने वाली नदियों /नालों/ जल निकायों और भूजल सहित सतही जल की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी भारत सरकार के राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (NWMP) के तहत एच0एस0पी0सी0बी0 के द्वारा की जाती है।

- vi) पानीपत में 44.5 एम०एल०डी० की क्षमता के 3 सी०ई०टी०पी० और सोनीपत में स्थापित 25.2 एम०एल०डी० की क्षमता 4 सी०ई०टी०पी० में स्थापित है इसके अतिरिक्त 6 एम०एल०डी० की क्षमता का 1 और सी०ई०टी०पी० सोनीपत में निर्मित किया जा रहा है पानीपत में एक सी०ई०टी०पी० (21 एम०एल०डी०) औद्योगिक बहिःस्त्राव के पक्ष उपचार के लिए तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोनीपत के 4 वर्तमान सी०ई०टी०पी० को जिले में ओर अधिक उपचार क्षमता को सृजित करने के लिए उन्नत किया जा रहा है (25.2 एम०एल०डी० से 48 एम०एल०डी०) सी०ई०टी०पी० के द्वारा अनुबंध-ज के रूप में संलग्न है।
- vii) मल्टीमीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए लोगों को जागृत कर रही है। इन तीनों जिलों में पिछले वर्ष 2020-2021 से 43 स्वास्थ्य शिविरों और 16 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।